<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा, जिला बीकानेर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी	**राहुल महेन्द्रा, आर.जे.एस.**
आपराधिक प्रकरण सं.	847/2014
सी.आई.एस. संख्या	2918/2014
सी.एन.आर. संख्या	RJBK080007282014

राजस्थान राज्य

--अभियोगी

-बनाम-

बजरंगलाल पुत्र श्री मनीराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी रोड़ा, पीएस नोखा, नोखा, जिला बीकानेर।

--अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 352, 336, 427, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थित :-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, वास्ते अभियुक्त।

-<u>निर्णय</u>- **दिनांक 13.03.2026**

1) श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर के आदेश क्रमांक स्था./2025/08 दिनांकित 07.01.2025 की पालना में हस्तगत प्रकरण दिनांक 08.01.2025 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा से अंतरित होकर इस न्यायालय में पेश हुआ, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

2) हस्तगत प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी, पुलिस थाना नोखा द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 468/2014 अंतर्गत धारा 341, 323, 336, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता में बाद अनुसंधान अभियुक्त बजरंगलाल के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र अंतर्गत धारा 352, 336, 427, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता से हुआ, जिसका बाद विचारण निस्तारण एतद्द्वारा किया जा रहा है।

3) प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.08.2014 को परिवादी हनुमान द्वारा एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना नोखा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि वह दिनांक 14.08.2014 को रात्रि करीब 9.30 बजे नोखा रोड़ चौराहे पर पहुंचा तो सामने से बजरंग पुत्र मनीराम व दो तीन अन्य व्यक्ति

गाड़ी टाटा जीनोन को उसकी गाड़ी नं. आर.जे.-07-सी.ए.-4260 को आड़े देकर रोका। उसकी गाड़ी में वह व सुरेन्द्र पुत्र बाबूलाल थे। बजरंगलाल ने उन्हें जान से मारने की नीयत से अपनी गाड़ी टाटा को उनकी गाड़ी के आड़े देकर रोककर पिस्टल से उन पर फायर दागा, जो उनकी गाड़ी के शीशे पर लगी। फिर बजरंग ने अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी के टक्कर मारी और गाड़ी उपर चढ़ा दी। मौका पर राकेश व श्याम आ गये तो ये लोग भाग गये....आदि।

4) उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना नोखा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 468/2014 अंतर्गत धारा 341, 323, 336, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई, जिसमें बाद अन्वेषण अभियुक्त बजरंगलाल के विरूद्ध धारा 352, 336, 427, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5) पत्रावली पर उपलबध समग्र सामग्री के आधार पर अभियुक्त को धारा 352, 336, 427, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन-समझकर आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत की गई।

6) अभियोजन साक्ष्य में अभियोजन अधिकारी द्वारा निम्न गवाहान को परीक्षित एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया-

क्रम सं.	गवाह का नाम	गवाह का क्रम
1	सुरेन्द्र कुमार	पी.डब्ल्यू.-01
2	सुनील कुमार	पी.डब्ल्यू.-02
3	राकेश	पी.डब्ल्यू.-03
4	बाघसिंह	पी.डब्ल्यू.-04
5	कैलाश	पी.डब्ल्यू.-05
6	हनुमान	पी.डब्ल्यू.-06
7	श्यामाराम	पी.डब्ल्य.-07

क्रम सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
1	पुलिस बयान सुरेन्द्र	पी-01
2	फर्द मुलाहिजा व सुपुर्दगी क्षतिग्रस्त वाहन स्विफ्ट डिजायर	पी-02
3	नक्शामौका व हालात मौका	पी-03 व पी-03 ए
4	फोटोग्राफ्स	पी-04 ता पी-07

5	पुलिस बयान सुनील	पी-08
6	पुलिस बयान राकेश	पी-09
7	लिखित तहरीरी रिपोर्ट	पी-10
8	चाक एफ.आई.आर.	पी-11
9	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट	पी-12
10	फर्द जब्ती वाहन टाटा	पी-13
11	पुलिस बयान हड़मान	पी-14
12	पुलिस बयान श्यामाराम	पी-15

7) अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना बताया व स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया, जिस पर अभियुक्त की प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

8) बहस अन्तिम सुनी गई।

8.1) दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाए।

8.2) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया अभियोजन अपनी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। प्रकरण का परिवादी स्वयं न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है व अन्य परीक्षित गवाहों द्वारा भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की गयी है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

9) उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.08.2014 को रात्रि करीब 9.30 बजे नोखा रोड़ चौराहे पर लोक शांति भंग करन के आशय से उसकी गाड़ी टाटा जीनोन आर.जे.-07-टी.ई.-0122 को परिवादी की गाड़ी नं. आर.जे.-07-सी.ए.-4260 के आड़े लगाकर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसकी गाड़ी टाटा जीनोन से परिवादी की गाड़ी को टक्कर मारकर परिवादी को वैयक्तिक क्षेम या संकटापन्न कारित किया और उक्त टक्कर से परिवादी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर उसे पचास रूपये या उससे अधिक रूपयों की रिष्टी कारित की ?

यदि "हां" तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दंडित किया जाना चाहिए?

10) इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अध्ययन सुसंगत है, जिसके अनुसार- **'जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिनहें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तितव है। जब कोई किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।'** उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने का भार अभियोजन पर है, जिसके संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 07 अभियोजन साक्षीयों को परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का समग्र रूप से विचार किया जावे तो हस्तगत प्रकरण का गवाह पी.ड.1 सुरेन्द्र कुमार ने न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किये हैं कि 2014 में हड़मानराम की गाड़ी में किसी प्रकार की तोड़फोड़ करते हुए किसी को नहीं देखा था। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। जिसने अभियोजन अधिकारी की **जिरह** में कथन किया है कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी-01 का हिस्सा ए से बी उसका लिखाया हुआ नहीं है।

10.1) गवाह पीडब्ल्यू-02 सुनील कुमार ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब दस ग्यारह साल पहले पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की जिरह में कथन किया है कि फर्द मुलाहिजा व सुपुदर्गी क्षतिग्रस्त वाहन आर.जे.-07-सी.ए.-4260 प्रदर्श पी-02 व नक्शामौका प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर कब व किसलए किए उसे पता नहीं। उसने फोटोग्राफ नहीं खींचे थे। फोटोग्राफ प्रदर्श पी-04 से पी-7 उसने नहीं खींचे थे। उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी-08 का हिस्सा ए से बी उसका लिखाया हुआ नहीं है।

10.2) गवाह पीडब्ल्यू-03 राकेश ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब दस ग्यारह साल पहले उसन कोई आपराधिक घटना कारित करते हुए नहीं देखा। उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की जिरह में कथन किया है कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी-09 का हिस्सा ए से बी उसका लिखाया हुआ नहीं है। बजरंगलाल रोडा गांव का है, इसलिए जानता है।

10.3) गवाह पीडब्ल्यू-04 बाघसिंह ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.08.2014 को वह एएसआई के पद पर पीएस नोखा में तैनात था। उस दिन एसएचओ श्री आईदानराम थे। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 पर कायमी मुकदमा

का पृष्ठाकन अंकित है व एसएचओ आईदानराम के हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 11 है जिस पर आईदानराम के हस्ताक्षर हैं। मुकदमा नं. 468/2014 पीएस नोखा दर्ज होने पर इस मुकदमा की तफतीश उसे सुपुर्द की। घटनास्थल पर पहुंच कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 व हालात मौका प्रदर्श पी 3ए तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। क्षतिग्रस्त वाहन आर.जे. 07 सीए 4260 का मुआयना किया गया व फर्द मुलाहिजा प्रदर्श पी-2 बनाया गया तथा इस वाहन को मुस्तगीस को बाद परीक्षण सुपुर्द किया गया। प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। परिवादी हड़मान को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर उसी पर उसका जवाब प्राप्त किया गया, जो प्रदर्श पी-12 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर हड़मान का जवाब व उसके हस्ताक्षर हैं। परिवादी हड़मान गवाह सुरेंद्र, श्यामाराम, राकेश, सुनील के बयान उनके कथनानुसार लिए थे। प्रकरण में वाहन आर.जे. 07 टीई 0122 को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 से जब्त किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन आरजे 07 सीए 4260 के फोटोग्राफ प्रदर्श पी-4 से पी-7 शामिल पत्रावली किए गए। उक्त वाहनों के दस्तावेजों की फोटो प्रतियां शामिल पत्रावली की गई। तफ्तीश से उसने अभियुक्त बजरंगलाल पुत्र मनीराम निवासी रोडा के विरूद्ध जुर्म धारा 352, 336, 427, 504, 506 भा.दं.सं. में जुर्म प्रमाणित मान पत्रावली एसएचओ नोखा को सुपुर्द की, जिन्होनें उसकी तफ्तीश के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में पेश की। **दौराने जिरह** गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मामला एक्सीडेंट का था। उसने अपनी तफ्तीश में गोली चलना नहीं माना। झगडा होने के कारण गाडी के शीशे टूटे थे। यह सही है कि परिवादी ने अपनी मूल दरख्वास्त प्रदर्श पी-10 में मारपीट होना नहीं लिखा है। यह सही है कि परिवादी ने अपनी दरख्वास्त में व उसने अपनी तफ्तीश में कितने रूपये का नुकसान हुआ, यह नहीं दर्शायी है। अज खुद कहा कि शीशे व लाईटे टूटी थीं, जिनकी अनुमानित लागत सौ रूपये से अधिक है। यह कहना सही है कि उसने नक्शामौका में शीशे टूटे होना दर्शाया है, परंतु कोई शीशों को बरामदगी नहीं की। मौके पर वह जब गया, तब गाड़िया मौके पर नहीं थी, जो उसने नक्शामौका में आसा पासा दिखाया है, वे दुकानें खुली नहीं थी, जिसके कारण उनके बयान नहीं लिए। यह सही है कि उसने नक्शामौका पर समय का अंकन नहीं किया है। मुस्तगीस ने मुलजिम द्वारा गंदी गंदी गालियां दिए जाने का कथन किया था, पर कौनसी गालियां निकाली इस बात का बताया हो तो उसे आज याद नहीं है।

10.4) गवाह पीडब्ल्यू-05 कैलाश ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 2014 में पुलिस ने उसके सामने कोई जब्ती नहीं की थी। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की **जिरह** में कथन

किया है कि प्रदर्श पी-13 पर उसके हस्ताक्षर हैं, ये हस्ताक्षर उसने कब किए उसे नहीं पता। यह हस्ताक्षर उसने पुलिस वालों के कहने पर किए थे।

10.5) गवाह पीडब्ल्यू-06 हनुमान ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब बारह साल पहले बजरंग ने उसका रास्ता रोककर उससे बोलचाल की थी और कोई बातचीत नहीं हुयी थी। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि आपस में राजीनामा हो गया है। घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 उसने थाने में दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट उसने किस व्यक्ति से लिखवाई थी यह उसे याद नहीं है। रिपोर्ट के ई से एफ भाग को उसने नहीं लिखवाया है। पुलिस बयान प्रदर्श पी-14 का ए से बी भाग उसका लिखाया हुआ नहीं है। फर्द मुलायजा प्रदर्श पी-02, नोटिस प्रदर्श पी-12 ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

10.6) गवाह पीडब्ल्यू-07 श्यामाराम ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब बारह साल पहले बजरंग ने हड़मान का रास्ता रोककर उसके साथ बोलचाल की थी और कोई बातचीत नहीं हुयी थी। उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा हो गया है। उसके पुलिस बयान हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी-15 का ए से बी भाग उसका लिखाया हुआ नहीं है।

11) उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण का परिवादी हनुमान है, जिसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 पेश हुई, जिस पर चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-11 दर्ज हुई जो न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.-06 के रूप में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह ने सशपथ बयानों में तहरीरी रिपोर्ट से विपरीत कथन किये हैं कि करीब बारह साल पहले बजरंग ने उसका रास्ता रोककर बोलचाल की थी और कोई बातचीत नहीं हुई थी। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की जिरह में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 के ई से एफ भाग को उसका लिखाया नहीं होने का कथन किया है और पुलिस बयान प्रदर्श पी-14 का ए से बी भाग भी उसका लिखाया हुआ नहीं होने का कथन किया है। जिससे प्रकट होता है कि उक्त गवाह द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 के संदर्भ में अपने न्यायालयीन बयानों में Material Contradiction किया है, जो धारा 162 सीआरपीसी के तहत सुसंगत है, जिससे कि अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न होता है।

11.1) इसी क्रम में अभियोजन कहानी अनुसार तहरीरी रिपोर्ट के अन्य गवाह सुरेन्द्र कुमार पी.डब्ल्यू.-01 ने भी सशपथ बयानों में कथन किया है कि 2014 में

हड़मानराम की गाड़ी में किसी प्रकार की तोड़फोड़ करते हुए उसने किसी को नहीं देखा और इस प्रकार उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी की जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी-01 का ए से बी हिस्सा उसका लिखाया हुआ नहीं होने का कथन किया है। उपरोक्त दोनों ही गवाह प्रकरण के मौके के गवाह थे, जो दोनों ही न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और परिवादी/गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में केवल मात्र बजरंगलाल से बोलचाल होने के कथन किए गए हैं, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

11.2) इसी प्रकार तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 के अनुसार बरवक्त घटना मौके पर राकेश व श्याम के आने का अंकन किया हुआ है। इस संदर्भ में गवाह राकेश पी.डब्ल्यू.-03 और गवाह श्यामाराम पी.डब्ल्यू.-07 ने एक ही स्वर में कथन किया है कि उन्होंने कोई आपराधिक घटना करते हुए नहीं देखा। उक्त दोनों ही गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने अभियोजन अधिकारी की जिरह में पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी-09, प्रदर्श पी-15 का ए से बी भाग उनके लिखाया हुआ नहीं होने का कथन किया है। ऐसे में उपरोक्त चारों ही गवाह जो अभियोजन कहानी के अनुसार बरवक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित थे, उक्त चारों गवाहों की साक्ष्य से परिवादी व अभियुक्त के मध्य केवल मात्र सामान्य बोलचाल होना प्रकट होता है। अभियुक्त के द्वारा परिवादी की गाड़ी को रोककर गाड़ी के साथ कोई तोड़फोड़ की गयी हो ऐसा प्रकट नहीं होता है।

11.3) प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-02 सुनील कुमार व पी.डब्ल्यू.-05 कैलाश भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी ताईद नहीं की है।

11.4) यहां पर अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.-04 बाघसिंह महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 352, 336, 427, 504, 506 भादंसं के तहत आरोप प्रमाणित माना गया था। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसने तफ्तीश में गोली चलना नहीं माना था तथा मुस्तगीस ने मुलजिम द्वारा गंदी गंदी गालियां दिये जाने का कथन किया है, परंतु इस संदर्भ में प्रकरण में मुस्तगीस व अन्य किसी भी गवाहों ने मुलजिम द्वारा गाली दिये जाने का कोई कथन नहीं किया है। जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

11.5) ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी विवेचन से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 352, 336, 427, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 352, 336, 427, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

-आदेश-

12) परिणामतः अभियुक्त **बजरंगलाल** पुत्र श्री मनीराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी रोड़ा, पीएस नोखा, नोखा, जिला बीकानेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **352, 336, 427, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

12.1) अभियुक्त के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

12.2) प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा जीनोन नंबर आर.जे.-07-टी.ई.-0122 प्रार्थी मनीराम को न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावे। प्रकरण में यदि कोई अन्य वजह सबूत जब्त हो, तो बाद गुजरने मियाद अपील उसका नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

12.3) अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत आगामी छह माह की अवधि के लिए धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनार्थ 20,000/- रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का बंध पत्र पेश कर तस्दीक करावे।

(राहुल महेन्द्रा, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा
जिला बीकानेर।

13) निर्णय आज दिनांक **13-03-2026** को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(राहुल महेन्द्रा, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा
जिला बीकानेर।